न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	131/2025	21.08.2025	कंचन बनाम सरकार	07.04.2026	1 लगायत 2

1 कंचन उर्फ पांची पुत्री ऊँकार जाति रैगर निवासी ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. नायब तहसीलदार बरनाला तहसील बरनाला। – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा

रेस्पोडेन्ट की ओर से– पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील बरनाला के नामान्तकरण सं0 452 दिनांक 04.08.2025 वाके ग्राम मोरपा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 452 दिनांक 04.08.2025 द्वारा ग्राम मोरपा में स्थित भूमि खं0नं0 542 रकबा 1.16 है0 उकार पुत्र बंशी की खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 542 वाके ग्राम मोरपा तहसील बरनाला ऊँकार पुत्र बंशी की खातेदारी रही है। अपीलान्ट के पिता ऊँकार पुत्र बंशी का देहान्त हो चुका है, उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया गया, किन्तु अपीलान्ट का वास्तविक नाम कंचन पुत्री ऊँकार है। पांची अपीलान्ट का बोलता नाम है। कंचन व पांची एक ही व्यक्ति [illegible] अलग नहीं है। अपीलान्ट के पिता के पांची नाम की कोई पुत्री नहीं रही है। अपीलान्ट के परिवार [illegible] ग्राम [illegible] के व्यक्ति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को बोलता नाम बता दिया गया तथा राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:20:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 131/25 उनवान कंचन बनाम सरकार

कंचन के स्थान पर बोलता नाम पांची तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट भूमि पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि से अपीलान्ट ने अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं है राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने से अपीलान्ट सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 452 दिनांक 04.08.2025 वाके ग्राम मोरपा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने नामान्तकरण सं0 452 दिनांक 04.08.2025 वाके ग्राम मोरपा यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष ने दौराने बहस अवगत कराया कि विवादित नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा गलत प्रकार से कंचन के स्थान पर पांची नाम दर्ज कर दिया गया।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 452 दिनांक 04.08.2025 वाके ग्राम मोरपा निरस्त कर इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर विवादित आराजीयात पर पांची पुत्री ऊँकार के स्थान पर कंचन पुत्री ऊँकार व विधिक वारिसान दर्ज का विवरण उल्लेख कर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वारिसानों का नाम दर्ज होने है तथा प्रकाशीत समाचार पत्र की प्रति अदालत मातहत में प्रस्तुत करेगा। अदालत मातहत भू-राजस्व अभिधिनम 1956 की धारा 135 (2) के अर्न्तगत तीस दिवस में आपत्ति आंमत्रण करेगा। उक्त प्रकरण में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो गुणावगुण पर सम्यक् रूप से सुनवाई कर अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता का विनिश्चय कर पूर्व तस्दीक नामान्तकरण निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु अदालत मातहत तहसीलदार स्वतंत्र है । यदि उक्त प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो या अन्य न्यायालय के स्थगन प्रतिकूल आदेश प्रचलित होने की दशा मे तहसीलदार पूर्व नामान्तकरण सं0 452 दिनांक 04.08.2025 वाके ग्राम मोरपा को यथावत रखेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिंह (तोमर))
अति0 कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:20:41 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]